न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/99/2025	2025/406	01.12.2025	09.03.2026

1. प्रमुदयाल शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद बागड़ा ब्राह्मण,
2. रामगोपाल शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद बागड़ा ब्राह्मण,
3. श्रवण शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद बागड़ा ब्राह्मण,
4. सन्तोष शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद बागड़ा ब्राह्मण,
5. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद बागड़ा ब्राह्मण,
   निवासीयान ग्राम हरनेर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सूरजमल पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम हरनेर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज0)

—अप्रार्थी

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—
01— श्री गोपाल कृष्ण मीणा —वकील प्रार्थीगण
02— श्री सूरजमल —स्वयं अप्रार्थी

—:निर्णय:—

प्रार्थीगण द्वारा यह स्थानांतरण प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी के समक्ष धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विचाराधीन प्रकरण संख्या 18/39 को अलवर स्थित किसी अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि श्रीमान् के मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट, थानागाजी के यहां मुकदमा सं. 18/39 सरकार बनाम पार्टी सं. 1 सूरजमल, पार्टी सं. 2 प्रभूदयाल वगै0 जो कि थानाधिकारी, थानागाजी द्वारा दिनांक 24.2.2023 को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त से विचाराधीन चला आ रहा है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 28.11.2025 नियत है। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी में विचाराधीन उक्त प्रकरण की पार्टी सं. 1 सूरजमल का रिश्ते में सगे साले का पुत्र कमलेश शर्मा जो कि वर्तमान में ग्राम नाथुसर, तहसील थानागाजी में पार्षद है, जो राजनैतिक पहुंच वाला शख्स है एवं उसका आए दिन तहसील कार्यालय थानागाजी, एसडीम कार्यालय थानागाजी में आना जाना रहता है, जिसके द्वारा वर्तमान में पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी को अपने प्रभाव में लिया हुआ है।

मिन पार्टी सं. 2/प्रार्थीगण को ग्राम नाथुसर के वर्तमान पार्षद कमलेश शर्मा जो कि पार्टी सं. 1 का रिश्तेदार है, के प्रभाव के चलते मातहत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना कम प्रतीत हो रही है चूंकि पिछले कुछ समय से मातहत पीठासीन अधिकारी के द्वारा पार्टी सं. 2/प्रार्थीगण के द्वारा निवेदित किसी भी प्रार्थना पर समुचित न्याय प्रदान नही किया जा रहा है एवं उनका झुकाव पार्टी नं. 1/अप्रार्थी के पक्ष में नजर आ रहा है जिस कारण से मिन पार्टी सं. 2/प्रार्थीगण मातहत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी में विचाराधीन प्रकरण सं. 18/39 को अलवर स्थित समकक्ष न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिस हेतु यह

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र नेकनियति से पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण को प्रकरण में अपना पक्ष रखने वास्ते पर्याप्त समय भी नही दिया जा रहा है, नजदीक की तारीख पेशियां नियत की जा रही है जबकि प्रकरण नवीन है। उक्त न्यायालय में उक्त विचाराधीन प्रकरण से काफी पुराने सैंकडो प्रकरण विचाराधीन है जिनमें नजदीक की तारीख पेशी नहीं दी जाती है। साम्या व न्याय के सिद्वान्त की पूर्ण रूप से पालना नहीं की जा रही है जिससे प्रार्थीगण/पार्टी सं. 2 को सम्पूर्ण व सम्यक न्याय मिलने की आशा नहीं रही है, जिस कारण से यह प्रार्थना पत्र नेकनियति से पेश किया जा रहा है। प्रकरण कि जिसके वास्ते मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है, को न्यायालय थानागाजी से अलवर स्थित समकक्ष न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मातहत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी में विचाराधीन प्रकरण सं. 18/39 को अलवर मुख्यालय स्थित सक्षम न्यायालय में सुनवाई वास्ते मुन्तकिल किये जाने वास्ते समुचित आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने अपने समर्थन में लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी के यहां मुकदमा सरकार बनाम सुरजमल वगैरा विचाराधीन हैं इसमें प्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय को गुमराह किया व वास्तविक तथ्यो को छिपाकर के यह प्रार्थना पत्र पेश किया था। पुलिस थाना थानागाजी की खून खराबे की आंशका की रिपोर्ट एंव पटवारी हल्का हरनेर की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट थानागाजी ने दिनांक 05.01.2024 को दोनो पक्षो की सहमति से आराजी खसरा नंबर 150, 56 व 58 वाके ग्राम हरनेर तहसील थानागाजी को राज कब्जे में लेने के आदेश तहसीलदार साहब थानागाजी को दिये जा चुके है।

प्रभुदयाल वगैरा ने इस आदेश की निगरानी न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश थानागाजी के समक्ष प्रस्तुत की गई तो इस निगरानी में श्रीमान न्यायालय ने दिनांक 20.11.2024 को उक्त प्रकरण को इस कदर न्यायालय उपखण्ड थानागाजी में वापिस भेज चुके हैं कि न्यायालय दोनो पक्षों की अपने अपने कब्जे के सम्बन्ध में लिखित कथन व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर के इस फैसले पर उपखण्ड न्यायालय पुनः विचार करके फैसला करे। कमलेश कुमार से प्रार्थी का किसी भी प्रकार से सम्बन्ध व सरोकार नही हैं और ना ही इस कमलेश कुमार ने दोनो पक्षो के राज मुकदमो में कभी भाग लिया, प्रार्थी ने गलत तरीके पर प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश किया है। उपखण्ड न्यायालय ने इस प्रकरण को अतिआवश्यक मानते हुए दोनो पक्षो की रजामंदी से तारीख नियत की जा रही हैं एंव न्याय के सिद्वान्त की पूर्ण पालना की जा रही है। श्रीमान न्यायालय ए डी जे थानागाजी के आदेशो की न्याय विरूद्ध हैं इस प्रार्थना पत्र मुन्तकिली मुकदमा को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर न्यायालय ए डी जे साहब थानागाजी के आदेशो की सरासर अवहेलना होगी।

प्रार्थी कमजोर एंव वृद्ध असहाय व्यक्ति हैं उक्त प्रार्थीगण खूंखार किस्म के लठेत व्यक्ति हैं तथा इन्होने पूर्व में भी अप्रार्थी की फसल को नाजायज तरीके से काट चुके हैं तथा पुलिस में भी अप्रार्थी इस बाबत रिपोर्ट दर्ज करा चुका हैं जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 334/25 थाना थानागाजी में दर्ज करवा चुके हैं लेकिन पुलिस भी उक्त प्रार्थीगण से अपना बेजा मेल रसूख मिला चुकी हैं इस कारण आज तक अप्रार्थी की इस एफ आई आर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः निवेदन है कि उक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थना पत्र खारिज फरमा कर उपखण्ड न्यायालय थानागाजी को सख्त आदेश दिये जावे कि जब तक न्यायालय का फैसला ना हो तब तक दोनो पक्षो को इस कदर पाबन्द किया जावे कि

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

मौका एंव रिकार्ड पर काबिज एवं मौके पर खडी हुई गेंहू व सरसो की फसल को दोनो पक्ष ना काटे एव अतिशीघ्र धारा 145 सी आर पी सी के तहत फैसला किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मुन्तकिल के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पैरा 1 स्वीकार है। न्यायालय हाजा में मुकदमा संख्या 18/39 सरकार बनाम पार्टी संख्या 01 सूरजमल, पार्टी सं. 2 प्रभूदयाल वगै0 जो कि थानाधिकारी थानागाजी द्वारा दिनांक 24.02.2023 को प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त विचाराधीन चला आ रहा है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.12.2025 नियत है। पैरा सं. 2 प्रार्थी स्वयं साबित करें। पैरा सं. 3 अस्वीकार है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में सी.पी.सी. के प्रावधानों एवं कोर्ट मैनुअल के अनुसार गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। पैरा सं. 4 – उक्त प्रकरण सीआरपीसी की धारा 145 बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने से संबंधित है। थानाधिकारी थानागाजी द्वारा इस्तगासा में यह स्पष्ट किया है कि उक्त विवादित आराजी के कब्जेराज को लेकर मौके पर काफी तनाव है। प्रकरण में सी. पी.सी के प्रावधानों एवं कोर्ट मैनुअल के अनुसार गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। पैरा सं. 5 :– इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जाता है तो हमें एतराज नहीं है। सी.पी.सी. के प्रावधानों के एवं कोर्ट मैनुअल के अनुसार गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। पैरा सं. 6 व 7 कानूनी बिन्दू है, अदालत श्रीमान् स्वयं तय करें। पीठसीन अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में सी.पी.सी. के प्रावधानों एवं कोर्ट मैनुअल के अनुसार गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जा रही है, फिर भी श्रीमान उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली का भली–भांति अवलोकन किया एवं उभय पक्षों के तर्कों/बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी पर मनन किया। यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, थानागाजी ने दिनांक 20.11.2024 के अपने आदेश में यह प्रकरण विशेष रूप से उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी को ही पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया है। ऐसे में इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करना अपीलीय/निगरानी न्यायालय के निर्देशों की भावना के विपरीत होगा। प्रार्थीगण का यह तर्क कि पीठासीन अधिकारी किसी पार्षद के प्रभाव में हैं, मात्र एक निराधार आशंका प्रतीत होती है। स्थानांतरण के लिए केवल मनगढ़ंत आशंका या संदेह पर्याप्त आधार नहीं होता है। प्रकरण धारा 145 C.R.P.C का है, जिसमें भूमि विवाद को लेकर शांति भंग होने और खून–खराबे की प्रबल आशंका है। ऐसे मामलों की प्रकृति अति–आवश्यक होती है। इसलिए, यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजदीक की पेशी तारीखें दी जा रही हैं, तो वह न्याय के हित में त्वरित निस्तारण के लिए उठाया गया उचित कदम है, न कि किसी पक्षपात का परिचायक।

उक्त समग्र परिस्थितियों और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र में कोई ठोस व विधिक आधार नहीं पाया गया है। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय की निष्पक्षता पर संदेह का कोई ठोस आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, थानागाजी के रिमांड आदेश दिनांक 20.11.2024 की पालना करते हुए, दोनों पक्षों को विधि अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस प्रकरण का यथाशीघ्र गुण–दोष के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर राजस्थान